

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक दिसम्बर 2015

पत्र संख्या-1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0 /श्री सौरभ कुमार शाह, भा0पु0से0 (2009), पुलिस अधीक्षक, सिवान को अपने निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 25.12.2015 से 15.01.2016 तक कुल 22 (बाईस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री शाह के अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0, समादेष्टा, बि0सै0पु0-05, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक दिसम्बर, 2015
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0 /पटना, दिनांक दिसम्बर, 2015
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-03/2012 गृ0आ0 8428 /पटना, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015
प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री सौरभ कुमार शाह, भा0पु0से0 (2009), पुलिस अधीक्षक, सिवान / श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0, समादेष्टा, बि0सै0पु0-05, पटना /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।